कार्यालय—निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / ए / 3584 / स्वास्थ्य / 2024—01325 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

विषय : राजकीय विद्यालयों में हैल्थ क्लब स्थापित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आयुक्त, खाद्य, सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर का पत्रांक :अ.शा. / खा.सु.औ.नि. / 2024 / एफएसएसएआई / 2107 दिनांक 09.10.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि **FSSAI** भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे **Eat Right intiatives** के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न श्रेणियों यथा स्कूल, कॉलेज, मन्दिर, रेल्वे स्टेशन एवं कैम्पस में शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ निर्मित करने, भण्डारण करने एवं वितरित किये जाने हेतु सर्टिफिकेशन कार्य किया जा रहा है। राज्य में आयुक्तालय के गठन वर्ष 2022 से स्कूल्स, मन्दिर, रेल्वे स्टेशन कैम्पस को रजिस्टर्ड किया गया है। इन कार्यों के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार को प्राप्त हुए है तथा आमजन भी शुद्ध खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक हुआ है।

राज्य सरकार की भी मंशा है कि राज्य के समस्त राजकीय स्कूल्स के छात्र—छात्राओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जावे तथा उन्हें शुद्ध खाद्य सामग्री के भण्डारण से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया की जानकारी दी जावे ताकि वे अपने क्षेत्र में भी खाद्य सामग्री का कार्य करने वाले दुकानदारों की जांच कर सकें एवं आमजन को जागरूक कर सकें। इस हेतु आवश्यक है कि सभी राजकीय विद्यालयों में एक **"हैल्थ क्लब"** की स्थापना की जावें तथा क्लब में छात्र—छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उनका एक संगठन तैयार किया जावें जो सभी के अच्छे स्वास्थ्य (मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक) के लिए विभिन्न तरीकों और गतिविधियों को निर्धारित करने वाली प्रत्येक सामग्री की जानकारी रख सकें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय विद्यालयों में संदर्भित पत्र के क्रम में हैल्थ क्लब की अनिवार्य रूप से स्थापना करावें तथा सभी छात्र—छात्राओं में **Eat Right Creativiy Challenges** का निर्माण एवं आमुखीकरण करवाते हुए **Eat Right School** कार्यक्रम में चयनित स्कूल्स को सर्टिफिकेशन कार्य में विभाग द्वारा एम्पनेल्ड एजेन्सी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु स्कूल प्रभारियों को निर्देशित करावें।

साथ ही सात दिवस में इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें कि आपके अधीनस्थ समस्त राजकीय विद्यालयों में **"हैल्थ क्ल्ब"** गठन कर लिया गया है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कलरावें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारं. शिक्षा एवं पं.राज
(प्रा.शि.) विभाग राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः

1. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. आयुक्त, खाद्य, सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मु) प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
5. मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
6. पीईईओ / यूसीईईओ समस्त।
7. समस्त संस्था प्रधान।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.11.08 1[illegible]:18:02 IST
Reason: Approved

निदेशक

RajKaj Ref No.: 11667309